

संख्या-913 /XIX-1/23/90 खाद्य/2011

प्रेषक,
एल० फ़ैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक // अक्टूबर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-00-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-00 की मानक मद-27-"व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक में आवंटित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 845/नि०वि०मा०वि०/41/बजट-2023-24 दिनांक 23 सितम्बर, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-3475-00-106-03-00 की मानक मद-27-"व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक में प्राविधानित धनराशि धनराशि रु० 1000.00 हजार (रूपये दस लाख मात्र) को संलग्न अलॉटमेंट आई०डी० के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1/111469/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 तथा शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में इंगित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार किया जायेगा।
- (2) बचनबद्ध मदों में आहरण एवं व्यय किरतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
- (3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से

/160890/2023

प्राप्त की जाय।

(5) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि नियमित व्यय करने के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना सम्बद्ध शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त अनुभाग-1/5 एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2- प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-25 के मुख्य लेखाधीशक- 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-00-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-00 के अन्तर्गत उल्लिखित सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 1/111469/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्रदत्त स्वीकृति एवं इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

Signed by L. Fanai

Date: 11-10-2023 16:17:23

(एल0 फैनई)

प्रमुख सचिव

संख्या-913 /XIX-1/23/90 खाद्य/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- वित्त नियंत्रक, खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- खाद्य, नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- वित्त विभाग-05/01, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

(एल0 फैनई)

प्रमुख सचिव।